उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-15/2015/103/62-2-2015-2/4(23)/2014टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अवर अभियंताओं को अपने वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ कालम-4 में अंकित जनपद के रिक्त सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार नितान्त अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0 सं0	अवर अभियंता का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिये जाने वाले जनपद का नाम
1	2	3	4
1-	श्री मूंगा राम भाष्कर	जालौन	जालौन
2-	श्री चिरंजीवी लाल	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी

2- इस हेतु उक्त अवर अभियंताओं को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नही होगा।

3- यह व्यवस्था पूर्णकालिक/नियमित सहायक अभियंता की तैनाती होने के फलस्वरूप स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-15/2015/103(1)/62-2-2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड/वृत्त।
5- संबंधित अवर अभियंता।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in